न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)

पीठासीन अधिकारी :- बृजेश कुमार मंगल (आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर : 89/2019

उनवानी प्रकरण वाद : 1- फरेन्द्र सिंह पुत्र दौलतराम जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 21 राजाखेड़ा। ----वादी

बनाम

1- नाहर सिंह
2- सोबरन सिंह
3- रविन्द्र सिंह
4- राजवीर सिंह
5- मान सिंह

पुत्रगण दौलतराम जाति राजपूत नि. कस्बा-वार्ड नं. 21 राजाखेड़ा तहसील राजाखेड़ा।

6- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेड़ा। ---------प्रतिवादीगण

दावा स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :- श्री विमल कुमार शर्मा वकील वादी

उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (राज.)

निर्णय दिनांक :- 01-2-2021

वादी द्वारा यह वाद अर्न्तगत 88 व 188 आर.टी.एक्ट इस न्यायालय में इन तथ्यों के साथ पेश किया कि विवादित आराजी ख.नं. $\frac{1822}{1-01}$, $\frac{1823}{1-02}$, $\frac{1843}{1-07}$ एवं $\frac{1844}{0-18}$ कुल किता-4 कुल रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा स्थित ग्राम मढ़ईपुर नं.1 में है। वादी की आयु जब लगभग 15 वर्ष की थी उस समय पिता दौलतराम ने दिनांक 28-5-90 को ख.नं. 1822, 1823 एवं 1844 को बिगम स्वरूप की खातेदारी की आराजी वादी एवं उसके भाईयों के नाम से क्रय की थी। तदुपरान्त दि. 15-4-1991 को ख.नं. 1843 को गनेशीलाल से क्रय किया था। मेरे पिता ने जब क्रेताओं के नाम डीड राईटर को बताये थे तो डीड राइटर के ऊँची आवाज सुनने के कारण वादी का नाम फरेन्द्र की बजाय बैनामा दिनांक 28-5-90 को हरेन्द्र अंकित कर दिया, तदुपरान्त दि. 15-4-91 के

क्रमशः-2

उपखण्डाधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

बयनामा में राजस्व रिकार्ड में जो अंकन था उसकी दुरुस्ती कर दी। इस प्रकार राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम श्री पूर्ण इरेन्द्र अंकित हो गया एवं सही नाम करेन्द्र शेष कागजात में है। वादी ने जब प्रधान मंत्री सम्मान निधि योजना में नामांकन कराना चाहा तो इसकी उसे श्री बताया, इस पर प्रतिवादीगणों से बातचीत कर शुद्ध के लिए कहा तो सभी ने इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगणों के इरेन्द्र नाम का कोई भाई नहीं है वादी ही सगा भाई है तथा समाज एवं परिचितों में करेन्द्र के नाम से ही जाना जाता है प्रतिवादीगण अब विवाद करते हैं तथा इस बात के आधार पर धमकी देने लगे हैं एवं सहयोग नहीं करते हैं। इसलिए वादी ने राजस्व रिकार्ड में बादस्तूर आराजी पर श्री पूर्ण नाम इरेन्द्र को लोपित किया जाकर सही व वास्तविक नाम करेन्द्र के नामांकन्द्राज दर्ज करवाने के लिए एवं प्रतिवादीगणों को पाबन्द करने के लिए न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत किया है। वाद पत्र के अन्त में दावा डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों के जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगा 5 अपने अभिभाषक के साथ न्यायालय में उपस्थित आये, उनकी ओर से जवाब दावा बतौर इकबाल दावा पेश किया, तथा अपने जवाब दावा में वाद पत्र के सभी कथनों को स्वीकार करते हुए कथन किया कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में श्री शहर के भूलने की भूल से श्री करेन्द्र के स्थान पर इरेन्द्र दर्ज हो गया है। जिसे शुद्ध करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इरेन्द्र के स्थान पर करेन्द्र शुद्ध किया जावे।

साक्ष्य वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में, पेन नं. फोटो प्रति प्रदर्श-1, आधार कार्ड फोटो प्रति प्रदर्श-2, भामाशाह कार्ड फोटो प्रति प्रदर्श-3, फोटो पहचान फोटो प्रदर्श-4, राशन कार्ड फोटो प्रति प्रदर्श-5, बैंक पासबुक फोटो प्रति प्रदर्श-6, ड्राइविंग लाइसेंस फोटो प्रति प्रदर्श-7, नकल जमाबन्दी सं. 2070-73 प्रदर्श-8, नकल नामान्तकरण प्रदर्श-9, नकल नामान्तकरण सं 1301 प्रदर्श-10, असल बयनामा लड़की दिनांक 15-4-91 प्रदर्श-11 पेश किये है तथा मौखिक साक्ष्य में बयान करेन्द्र वादी PW-1 एवं बयान गवाह इब्राहिम सिंह PW-2 कराये है।

बहस विद्वान अभिभाषक वकील वादी सुनी गयी। वकील

क्रमशः--3

उपखण्डाधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

वादी द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के समस्त कथनों को दोहराया तथा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य तथा प्रतिवादीगण के इकबालदावा से दावा को पूरी तरह साबित होना बताया, तथा यह भी कथन किया कि इसमें क्षेत्राधिकार का कोई बिन्दु नहीं है। किसी भी लघु त्रुटि को न्यायालय शुद्ध करने के लिए सक्षम है इसलिए इस प्रकरण में वादी के त्रुटिपूर्ण नाम की त्रुटि को शुद्धि का आदेश देने में कोई भी कानूनी अड़चन नहीं है। दावा पूर्ण रूप से सिद्ध है एवं डिक्री योग्य है। बहस के अन्त में उनके द्वारा दावा डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया। अपने कथन के समर्थन में उनके द्वारा DNJ 2019 (4) राज. पृष्ठ 1730 की कानूनी नजीर प्रस्तुत की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक वादी पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबंदी में खातेदारों के नाम नाहरसिंह, मोहरसिंह, रविन्द्रसिंह, हरेन्द्र सिंह, रणवीर सिंह, मानसिंह पि. दौलतराम कौम राजपूत सा. देह हि. बराबर का इन्द्राज दर्ज है। वादी द्वारा यह बताया है कि उसका वास्तविक नाम फरेन्द्र है जबकि [illegible] की सुनने की गलती से कागजात में हरेन्द्र हो गया है तथा उसी कारण राजस्व रिकार्ड में भी हरेन्द्र हो गया है। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 वादी के भाई हैं उनके द्वारा प्रस्तुत इकबालदावा से इस तथ्य की पुष्टि होती है। वादी के शपथ पूर्वक बयान एवं स्वतन्त्र गवाह [illegible] के बयान से भी इस तथ्य की भली भांति पुष्टि हो जाती है। वादी द्वारा अन्य दस्तावेज प्रदर्श 1 ता 7 जो पेश किये हैं उनमें वादी का नाम फरेन्द्र पुत्र दौलतराम ही दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वादी का वास्तविक नाम फरेन्द्र ही है। स्वतन्त्र गवाह ने भी अपने बयान में यह शपथ पूर्वक बताया है कि वादी ही दौलतराम का पुत्र है हरेन्द्र नाम का कोई पुत्र अस्तित्व में नहीं है, कब्जा भी फरेन्द्र का ही विवादित खेतों पर है तथा हरेन्द्र के स्थान पर फरेन्द्र ही [illegible] पाया। उपरोक्त विवेचन से वादी का दावा पूरी तरह साबित है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर DNJ 2019(4) पृष्ठ 1730 से भी हम पूरी तरह सन्तुष्ट हैं तथा नाम शुद्धि करने बाबत न्यायोचित आधार हैं तथा डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख.नं. 1822/0.01, 1823/0.02, 1843/0.07, 1844/0.18 कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा स्थित ग्राम

उपखण्डाधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

(5)

मुहद्दवार नं० तहसील राजाखेड़ा पर शामिल रिकार्ड में दर्ज वादी के नाम हरेन्द्र सिंह पुत्र दौलतराम के स्थान पर करेन्द्र सिंह पुत्र दौलतराम शुद्ध किया जाकर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली कोमल कुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01-2-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार मंगल)
आर० ए० एस०
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)